



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 59]

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 20, 2019/फाल्गुन 1, 1940

No. 59]

NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 20, 2019/PHALGUNA 1, 1940

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

(बजट प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 फरवरी, 2019

(i) 7.30 प्रतिशत (अहस्तांतरणीय) विशेष भारत सरकार प्रतिभूति, 2029; (ii) 7.35 प्रतिशत (अहस्तांतरणीय) विशेष भारत सरकार प्रतिभूति, 2030; (iii) 7.35 प्रतिशत (अहस्तांतरणीय) विशेष भारत सरकार प्रतिभूति, 2031; (iv) 7.40 प्रतिशत (अहस्तांतरणीय) विशेष भारत सरकार प्रतिभूति, 2032; (v) 7.40 प्रतिशत (अहस्तांतरणीय) विशेष भारत सरकार प्रतिभूति, 2033; तथा (vi) 7.45 प्रतिशत (अहस्तांतरणीय) विशेष भारत सरकार प्रतिभूति, 2034 को जारी करना।

फा. सं. 4(16)-डब्ल्यू एवं एम/2018.—भारत सरकार एतदद्वारा दिनांक 21 फरवरी, 2019 को (i) 7.30 प्रतिशत (अहस्तांतरणीय) विशेष भारत सरकार प्रतिभूति, 2029; (ii) 7.35 प्रतिशत (अहस्तांतरणीय) विशेष भारत सरकार प्रतिभूति, 2030; (iii) 7.35 प्रतिशत (अहस्तांतरणीय) विशेष भारत सरकार प्रतिभूति, 2031; (iv) 7.40 प्रतिशत (अहस्तांतरणीय) विशेष भारत सरकार प्रतिभूति, 2032; (v) 7.40 प्रतिशत (अहस्तांतरणीय) विशेष भारत सरकार प्रतिभूति, 2033; तथा (vi) 7.45 प्रतिशत (अहस्तांतरणीय) विशेष भारत सरकार प्रतिभूति, 2034 (इसके पश्चात् संक्षिप्त रूप से ‘विशेष प्रतिभूति’ के रूप में उल्लिखित है) के निर्गम को अधिसूचित करती है।

1. अभिदान के लिए पात्रता और अभिदान की सीमा :-

- (i) केवल इसके अनुबंध में उल्लिखित सरकारी क्षेत्र के बैंक इन विशेष प्रतिभूतियों में अभिदान करने के लिए पात्र होंगे तथा प्रतिभूतियों में उनका अभिदान अनुबंध में उनके नाम के सामने दर्शाई गई राशि तक सीमित रहेगा।
- (ii) उपर्युक्त अनुबंध में उल्लिखित सरकारी क्षेत्र के बैंकों के अलावा, किसी अन्य बैंक, कंपनी, कारपोरेशन अथवा किसी अन्य निकाय सहित कोई अन्य व्यक्ति इन विशेष प्रतिभूतियों में अभिदान करने के लिए पात्र नहीं होगा।

2. निर्गम मूल्य एवं तारीख:-

- (i) विशेष प्रतिभूतियां पात्र बैंकों द्वारा किए गए आवेदन में इंगित किए गए अनुसार, सममूल्य राशि पर जारी की जाएंगी।
- (ii) विशेष प्रतिभूतियों को जारी करने की तारीख पात्र बैंकों से अभिदान राशि की प्राप्ति की तारीख होगी।

3. प्रतिभूति का स्वरूप :-

इन विशेष प्रतिभूतियों को लोक ऋण कार्यालय, भारतीय रिजर्व बैंक, मुंबई में बनाए रखे निवेशकर्ता बैंकों के सब्सिडियरी जनरल अकाउंट में क्रेडिट करके "स्टॉक" के रूप में जारी किया जाएगा।

4. ब्याज एवं वापसी :-

विशेष प्रतिभूतियों की वापसी अदायगी प्रत्येक प्रतिभूति के संबंध में इंगित की गई परिपक्वता की तारीख को सममूल्य पर होगी। विशेष प्रतिभूतियों पर ब्याज अर्धवार्षिक अंतराल पर देय होगा जो प्रतिभूति जारी करने की तारीख से परिकलित होगा। प्रतिभूति पर ब्याज मुंबई स्थित भारतीय रिजर्व बैंक के लोक ऋण कार्यालय में देय होगा।

इन प्रतिभूतियों पर निम्नलिखित रूप से ब्याज दर देय होगी :

क्रम संख्या	प्रतिभूतियों का नामकरण	ब्याज दर	परिपक्वता की तारीख
1	7.30 (अहस्तांतरणीय) विशेष भारत सरकार प्रतिभूति, 2029	7.30 प्रतिशत	21 फरवरी, 2029
2	7.35 (अहस्तांतरणीय) विशेष भारत सरकार प्रतिभूति, 2030	7.35 प्रतिशत	21 फरवरी, 2030
3	7.35 (अहस्तांतरणीय) विशेष भारत सरकार प्रतिभूति, 2031	7.35 प्रतिशत2	21 फरवरी, 2031
4	7.40 (अहस्तांतरणीय) विशेष भारत सरकार प्रतिभूति, 2032	7.40 प्रतिशत	21 फरवरी, 2032
5	7.40 (अहस्तांतरणीय) विशेष भारत सरकार प्रतिभूति, 2033	7.40 प्रतिशत	21 फरवरी, 2033
6	7.45 (अहस्तांतरणीय) विशेष भारत सरकार प्रतिभूति, 2034	7.45 प्रतिशत	21 फरवरी, 2034

ब्याज का भुगतान निकटतम पूर्ण रूपये में परिकलन (राउंड ऑफ) करके किया जाएगा। इस प्रयोजन के लिए, पचास पैसे से कम राशि को नजरअंदाज किया जाएगा और पचास और उससे अधिक पैसे को अगले रूपये में परिकलित (राउंड ऑफ) किया जाएगा।

5. हस्तांतरणीयता एवं परिवर्तनः-

विशेष प्रतिभूति हस्तांतरणीय नहीं होगी तथा इन प्रतिभूतियों को किसी भी अन्य स्वरूप में परिवर्तन करने की अनुमति भी नहीं होगी।

6. सांविधिक प्रावधानः-

जहां तक किसी ऐसे विषय का संबंध है, जिसका इस अधिसूचना के तहत प्रावधान नहीं किया गया है, विशेष प्रतिभूति लोक ऋण अधिनियम, 2006 तथा उसके तहत बनाई गई लोक ऋण नियमावली, 2007 द्वारा अभिशासित की जाएगी।

7. कर कानूनों का लागू होना :-

विशेष प्रतिभूति में निवेशित राशि तथा उस पर देय ब्याज को समय-समय पर यथा-प्रयोज्यकर कानूनों के प्रावधानों द्वारा अभिशासित किया जाएगा।

8. विशेष प्रतिभूति में निवेश की पात्रता :-

जहां तक कि सांविधिक प्रावधानों अथवा निदेशों के अनुसरण में निवेशकर्ता बैंकों द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करने की अपेक्षा है, इस संबंध में निवेशकर्ता बैंकों द्वारा इन विशेष प्रतिभूतियों में किए गए निवेश को एक पात्र निवेश के रूप में नहीं माना जाएगा।

9. एचटीएम प्रस्थिति :-

बैंकों द्वारा निवेश पोर्टफोलियो के वर्गीकरण, मूल्यन तथा परिचालन संबंधी विवेकपूर्ण मापदण्डों के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 01 जुलाई, 2015 के परिपत्र डीबीआर संख्या बीपी. बीसी.6/21.04.141/2015-16 के अनुसरण में, विशेष प्रतिभूतियां विना किसी भी सीमा के एचटीएम पोर्टफोलियो के तहत धारित की जा सकती हैं।

अनुबंध

[संदर्भ फा. सं. 4(16)-डब्ल्यू एवं एम/2018 दिनांक 20 फरवरी, 2019]

सरकारी क्षेत्र के पात्र बैंकों की सूची तथा (i) 7.30 प्रतिशत (अहस्तांतरणीय) विशेष भारत सरकार प्रतिभूति, 2029; (ii) 7.35 प्रतिशत (अहस्तांतरणीय) विशेष भारत सरकार प्रतिभूति, 2030; (iii) 7.35 प्रतिशत (अहस्तांतरणीय) विशेष भारत सरकार प्रतिभूति, 2031; (iv) 7.40 प्रतिशत (अहस्तांतरणीय) विशेष भारत सरकार प्रतिभूति, 2032; (v) 7.40 प्रतिशत (अहस्तांतरणीय) विशेष भारत सरकार प्रतिभूति, 2033; तथा (vi) 7.45 प्रतिशत (अहस्तांतरणीय) विशेष भारत सरकार प्रतिभूति, 2034, प्रतिभूतियों का आवंटन।

क्रम संख्या	पात्र बैंकों का नाम	परिपक्व होने वाला वर्ष (करोड़ रुपये)						
		2029	2030	2031	2032	2033	2034	आवंटित राशि
1	इलाहाबाद बैंक	1,151	1,149	1,149	1,149	1,149	1,149	6,896
2	आंध्रा बैंक	546	542	542	542	542	542	3,256
3	बैंक ऑफ इंडिया	773	773	773	773	773	773	4,638
4	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	35	34	34	34	34	34	205
5	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	430	426	426	426	426	426	2,560
6	कॉर्पोरेशन बैंक	1,516	1,514	1,514	1,514	1,514	1,514	9,086
7	इंडियन ओवरसीज बैंक	636	634	634	634	634	634	3,806
8	पंजाब नैशनल बैंक	988	984	984	984	984	984	5,908
9	सिंडीकेट बैंक	268	267	267	267	267	267	1,603
10	यूको बैंक	555	555	555	555	555	555	3,330
11	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	687	685	685	685	685	685	4,112
12	यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	474	473	473	473	473	473	2,839
	कुल	8,059	8,036	8,036	8,036	8,036	8,036	48,239

भारत के राष्ट्रपति के आदेशानुसार,
अरविन्द श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Economic Affairs)
(BUDGET DIVISION)
NOTIFICATION

New Delhi, 20th February, 2019

Issue of (i) 7.30 per cent (Non-transferable) Special Gol Security, 2029; (ii) 7.35 per cent (Non-transferable) Special Gol Security 2030; (iii) 7.35 per cent (Non-transferable) Special Gol Security 2031; (iv) 7.40 per cent (Non-transferable) Special Gol Security 2032; (v) 7.40 per cent (Non transferable) Special Gol Security 2033; and (vi) 7.45 per cent (Non- transferable) Special GoI Security 2034.

F. No. 4(16)-W&M/2018.—Government of India hereby notifies the issue of (i) 7.30 per cent (Non-transferable) Special Gol Security, 2029; (ii) 7.35 per cent (Non- transferable) Special Gol Security 2030; (iii) 7.35 per cent (Non-transferable) Special Gol Security 2031; (iv) 7.40 per cent (Non-transferable) Special Gol Security 2032; (v) 7.40 per cent (Non-transferable) Special Gol Security 2033; and (vi) 7.45 per cent (Non- transferable) Special GoI Security 2034, (hereinafter briefly described as the “Special securities”) on February 21, 2019.

1. Eligibility for Subscription and Limit of Subscription:

- (i) The Public Sector Banks as referred to in the **Annexure** hereto shall only be eligible to subscribe to the special securities and their subscription to the securities shall be limited to the extent of the amount, as shown against their respective names in the Annexure.
- (ii) No other person, including any bank, company, corporation or any other body except the Public Sector Banks as referred to in aforesaid Annexure shall be eligible to subscribe to the special securities.

2. Price and Date of Issue:

- (i) The special securities will be issued at par for the amount as per the application made by the eligible banks.
- (ii) The date of issue of the special securities will be the date of receipt of subscription amount from the eligible banks.

3. Form of Security:

The special securities will be issued in the form of "Stock" to be held at credit of the investing bank's Subsidiary General Ledger Account maintained with Public Debt Office, Reserve Bank of India, Mumbai.

4. Interest and Repayment:

The special securities shall be repayable at par on the date of maturity as indicated against each security. Interest on the special securities will be payable at half yearly intervals, reckoned from the date of issue of the securities. Interest on the securities will be payable at Public Debt Office of Reserve Bank of India at Mumbai.

The following rate of interest will be payable on these securities:

S. No.	Nomenclature of the Securities	Rate of Interest	Date of maturity
1.	7.30 (Non-Transferable) Special Gol Security 2029	7.30 per cent	February 21, 2029
2.	7.35 (Non-Transferable) Special Gol Security 2030	7.35 per cent	February 21, 2030
3.	7.35 (Non-Transferable) Special GoI Security 2031	7.35 per cent	February 21, 2031
4.	7.40 (Non-Transferable) Special GoI Security 2032	7.40 per cent	February 21, 2032
5.	7.40 (Non-Transferable) Special Gol Security 2033	7.40 per cent	February 21, 2033
6.	7.45 (Non-Transferable) Special Gol Security 2034	7.45 per cent	February 21, 2034

Interest will be paid after rounding off to the nearest whole rupee. For this purpose, amount of interest less than fifty paise will be ignored and fifty paise and more will be rounded off to the next rupee.

5. Transferability and Conversion:

The special securities shall not be transferable and conversion in any other form of security shall not be permitted.

6. Statutory Provisions:

With respect to any such matter which has not been provided under this Notification, the special securities shall be governed by the Government Securities Act, 2006 and the Government Securities Rules, 2007 framed there under.

7. Applicability of Tax Laws:

The value of the investment in the special security and the interest payable thereon will be governed by the provisions of tax laws as applicable from time to time.

8. Eligibility of Investment in Special Securities:

The investment in the special securities by the investing banks would not be considered as an eligible investment which they are required to make in Government securities in pursuance of any statutory provisions or directions applicable to the investing banks.

9. HTM Status:

As per RBI Circular DBR No BP.BC. 6/21.04.141/2015-16 July 1, 2015 on Prudential Norms for Classification, Valuation and Operation of Investment Portfolio by Banks, the special securities can be held under HTM portfolio without any limit.

Annexure

[Ref. F. No. 4(16)-W&M/2018 dated February 20, 2019]

List of Public Sector Banks and Allocation of Securities (i) 7.30 per cent (Non-transferable) Special Gol Security, 2029; (ii) 7.35 per cent (Non-transferable) Special Gol Security 2030; (iii) 7.35 per cent (Non-transferable) Special Gol Security 2031; (iv) 7.40 per cent (Non-transferable) Special Gol Security 2032; (v) 7.40 per cent (Non-transferable) Special Gol Security 2033; and (vi) 7.45 per cent (Non-transferable) Special Gol Security 2034.

Sl. No.	Name of the Bank	Maturing in Year						(₹ crore) Amount Allocated
		2029	2030	2031	2032	2033	2034	
1	Allahabad Bank	1,151	1,149	1,149	1,149	1,149	1,149	6,896
2	Andhra Bank	546	542	542	542	542	542	3,256
3	Bank of India	773	773	773	773	773	773	4,638
4	Bank of Maharashtra	35	34	34	34	34	34	205
5	Central Bank of India	430	426	426	426	426	426	2,560
6	Corporation Bank	1,516	1,514	1,514	1,514	1,514	1,514	9,086
7	Indian Overseas Bank	636	634	634	634	634	634	3,806
8	Punjab National Bank	988	984	984	984	984	984	5,908
9	Syndicate Bank	268	267	267	267	267	267	1,603
10	UCO Bank	555	555	555	555	555	555	3,330
11	Union Bank of India	687	685	685	685	685	685	4,112
12	United Bank of India	474	473	473	473	473	473	2,839
Total		8,059	8,036	8,036	8,036	8,036	8,036	48,239

By Order of the President of India,
ARVIND SHRIVASTAVA, Jt. Secy.